न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-514RAAJodhpur2022-200RTA223 Laduram Vs Ratanaram etc
2022-554RAAJodhpur2022-211RTA223 Laduram Vs Ratanaram etc

लादुराम पुत्र खमुराम, जाति विश्नोई, निवासी– भगवान नगर, भीयासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. रतनाराम पुत्र नवलाराम
02. बगडुराम पुत्र जसवन्ताराम
03. तुलछी पत्नी रतनाराम
04. लीला पुत्री मुकनाराम
05. भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पुत्र रूगनाथराम
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– भगवान नगर, भीयासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
06. ग्राम पंचायत गांधी नगर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 433/2019 रतनाराम बनाम लादुराम इत्यादि

---

(02)2022-554RAAJodhpur2022-211RTA223 Laduram Vs Ratanaram etc

लादुराम पुत्र खमुराम, जाति विश्नोई, निवासी– भगवान नगर, भीयासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. रतनाराम पुत्र नवलाराम
02. बगडुराम पुत्र जसवन्ताराम
03. तुलछी पत्नी रतनाराम
04. लीला पुत्री मुकनाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

05. भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पुत्र रूगनाथराम
सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– भगवान नगर, भीयासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
06. ग्राम पंचायत गांधी नगर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 433/2019 रतनाराम बनाम लादुराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री घेवरराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

नि र्ण य

दिनांक : 12 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 433/2019 अनवान रतनाराम बनाम लादुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अगस्त 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः 08 अगस्त 2022 एवं दिनांक 19 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील संख्या 200/2022 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 423/1 रकबा 39.01 बीघा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 423/3 रकबा 39.01 बीघा, खसरा नं. 423 रकबा 16.15 बीघा, खसरा नं. 423/2 रकबा 39.02 बीघा, खसरा नं. 423/4 रकबा 39.01 बीघा ग्राम भगवान नगर, तहसील फलोदी के संबंध धारा 88, 53 एवं 188, 92–ए आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अगस्त 2022 पारित कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 200/2022 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 दिसंबर 2022 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 211/2022 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में प्रतिवादीगण से जवाब लिये बिना, एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना तथा उभय की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण बिना साक्ष्य के वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं था। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव अपीलांट को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा राजस्व कर्मचारी वक्त विभाजन मौके पर भी नहीं आये है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के विपरीत तैयार किया गया है तथा प्राथमिक डिक्री में दर्ज हिस्सों को अंतिम डिक्री में बदल दिया गया है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 के विरूद्ध तैयार किये जाने तथा नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री विधि–विरूद्ध पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अपील संख्या 200/2022 के साथं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में प्रत्यर्थीगण पटवारी हल्का को साथ में लेकर मौके पर आये एवं अपीलार्थी को बेदखल करने की धमकी दी गई तथा कहा कि उनके द्वारा विभाजन करवा लिया है। तब अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकले लेकर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील संख्या 200/2022 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अदंर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 433/2019 अनवान रतनाराम बनाम लादुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अगस्त 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 दिसंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील संख्या 200/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील संख्या 200/2022 अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2019 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर ना तो सम्यक रूप से तामील करवाया जाना पाया जाता है तथा न ही तामील होने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना पाया जाता है। पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में ही विचाराधीन रहने के दौरान ही विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना सीधे ही दिनांक 23 अगस्त 2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 23 अगस्त 2022 की आदेशिका अंकित हीं नहीं है तथा न ही पक्षकारान् की बहस सुने जाने बाबत किसी प्रकार का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अगस्त 2022 न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.11. 2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में द्वारा नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 433/2019 अनवान रतनाराम बनाम लादुराम इत्यादि में पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अगस्त 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 दिसंबर 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश एवं हिदायत के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य–सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर